

[TO BE PUBLISHED IN PART II, SECTION 3, SUB-SECTION (ii) OF THE GAZETTE OF INDIA]

Government of India
Ministry of Health and Family Welfare
(Department of Health and Family Welfare)

Nirman Bhavan New Delhi
Dated the 10th July 2008.

NOTIFICATION

S.O.... In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of the section 11 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956), the Central Government, after consulting the Medical Council of India, hereby makes the following further amendments in the First Schedule to the said Act, namely:-

In the said Schedule -

a) against "Sher-I-Kashmir Institute of Medical Sciences (Deemed University)", under the heading 'Recognized Medical Qualification' [hereinafter referred to as column (2)], after the last entry and entry relating thereto under the heading 'Abbreviation for Registration' [hereinafter referred to as column (3)], the following shall be inserted, namely:-

(2)

(3)

"Doctor of Medicine(Pathology)"

MD(Pathology)

(This shall be a recognized medical qualification when granted by Sher-I-Kashmir Institute of Medical Sciences (Deemed University) in respect of students being trained at Sher-I-Kashmir Institute of Medical Sciences, Srinagar on or after 2004).

b) against "Jammu University", under the heading 'Recognized Medical Qualification' [hereinafter referred to as column (2)], after the last entry and entry relating thereto under the heading 'Abbreviation for Registration' [hereinafter referred to as column (3)], the following shall be inserted, namely:-

"Doctor of Medicine(Anaesthesia)"

MD(Anaesthesia)

(This shall be a recognized medical qualification when granted by Jammu University in respect of students being trained at Acharya Sri Chander College of Medical Sciences, Jammu on or after May, 2007)

"Doctor of Medicine(Pathology)"

MD(Pathology)

(This shall be a recognized medical qualification when granted by Jammu University in respect of students being trained at Acharya Sri Chander College of Medical Sciences, Jammu on or after May, 2007)

"Master of Surgery(General Surgery)"

MS(General Surgery)

(This shall be a recognized medical qualification when granted by Jammu University in respect of students being trained at Acharya Sri Chander College of Medical Sciences, Jammu on or after May, 2007)

"Doctor of Medicine(General Medicine)

MD(General Medicine)

(This shall be a recognized medical qualification when granted by Jammu University in respect of students being trained at Acharya Sri Chander College of Medical Sciences, Jammu on or after May, 2007)

"Doctor of Medicine(SPM/ Community Medicine)"

MD(SPM/Community Medicine)

(This shall be a recognized medical qualification when granted by Jammu University in respect of students being trained at Government Medical College, Jammu on or after 1995)

"Doctor of Medicine(Dermatology, Venerology & Leprosy)"

MD(DVL)

(This shall be a recognized medical qualification when granted by Jammu University in respect of students being trained at Government Medical College, Jammu on or after 2005)

c) against "Punjab University", under the heading 'Recognized Medical Qualification' [hereinafter referred to as column (2)], after the last entry and entry relating thereto under the heading 'Abbreviation for Registration' [hereinafter referred to as column (3)], the following shall be inserted, namely:-

"Doctor of Medicine(Obstetrics & Gynaecology)"

MD(OBG)

(This shall be a recognized medical qualification when granted by Punjab University in respect of students being trained at Government Medical College, Chandigarh on or after April, 2007)

"Master of Surgery(Anatomy)"

MS(Anatomy)

(This shall be a recognized medical qualification when granted by Punjab University in respect of students being trained at Dayanand Medical College, Ludhiana on or after 1981)

"Doctor of Medicine(Anatomy)"

MD(Anatomy)
(This shall be a recognized medical qualification when granted by Punjab University in respect of students being trained at Dayanand Medical College, Ludhiyana on or after 1981)

"Doctor of Medicine(Pharmacology)"

MD(Pharmacology)
(This shall be a recognized medical qualification when granted by Punjab University in respect of students being trained at Dayanand Medical College, Ludhiyana on or after 1980)

d) against "Baba Farid University of Health Sciences", under the heading 'Recognized Medical Qualification' [hereinafter referred to as column (2)], after the last entry and entry relating thereto under the heading 'Abbreviation for Registration' [hereinafter referred to as column (3)], the following shall be inserted, namely:-

"Master of Surgery(Anatomy)"

MS(Anatomy)
(This shall be a recognized medical qualification when granted by Baba Farid University of Health Sciences in respect of students being trained at Dayanand Medical College, Ludhiyana on or after 1981)

"Doctor of Medicine(Anatomy)"

MD(Anatomy)
(This shall be a recognized medical qualification when granted by Baba Farid University of Health Sciences in respect of students being trained at Dayanand Medical College, Ludhiyana on or after 1981)

"Doctor of Medicine(Pharmacology)"

MD(Pharmacology)
(This shall be a recognized medical qualification when granted by Baba Farid University of Health Sciences in respect of students being trained at Dayanand Medical College, Ludhiyana on or after 1980)

e) against "Delhi University", under the heading 'Recognized Medical Qualification' [hereinafter referred to as column (2)], after the last entry and entry relating thereto under the heading 'Abbreviation for Registration' [hereinafter referred to as column (3)], the following shall be inserted, namely:-

"Doctor of Medicine(Psychiatry)"

MD(Psychiatry)

(This shall be a recognized medical qualification when granted by Delhi University in respect of students being trained at Institute of Human Behaviour and Allied Sciences, Delhi on or after April, 2007)

"Doctor of Medicine(Obstetrics & Gynaecology)"

MD(OBG)

(This shall be a recognized medical qualification when granted by Delhi University in respect of students being trained at Safdarjung Hospital, New Delhi on or after 1965)

"Diploma in Gynaecology & Obstetrics"

D.G.O.

(This shall be a recognized medical qualification when granted by Delhi University in respect of students being trained at Safdarjung Hospital, New Delhi on or after 1964)

f) against "Patna University", under the heading 'Recognized Medical Qualification' [hereinafter referred to as column (2)], after the last entry and entry relating thereto under the heading 'Abbreviation for Registration' [hereinafter referred to as column (3)], the following shall be inserted, namely:-

"Doctor of Medicine(Community Medicine/SPM)"

MD(Community Medicine/SPM)

(This shall be a recognized medical qualification when granted by Patna University in respect of students being trained at Patna Medical College, Patna on or after 1960)

"Doctor of Medicine(Microbiology)"

MD(Microbiology)

(This shall be a recognized medical qualification when granted by Patna University in respect of students being trained at Patna Medical College, Patna on or after 2003)

g) against "Ch. Charan Singh University, Meerut", under the heading 'Recognized Medical Qualification' [hereinafter referred to as column (2)], after the last entry and entry relating thereto under the heading 'Abbreviation for Registration' [hereinafter referred to as column (3)], the following shall be inserted, namely:-

"Doctor of Medicine(Paediatrics)"

MD(Paediatrics)

(This shall be a recognized medical qualification when granted by Ch. Charan Singh University in respect of students being

trained at Santosh Medical College,
Ghaziabad on or after June, 2007)

h) against "Sanjay Gandhi Postgraduate Instt. of Medical Sciences(Deemed University), Lucknow", under the heading 'Recognized Medical Qualification' [hereinafter referred to as column (2)], after the last entry and entry relating thereto under the heading 'Abbreviation for Registration' [hereinafter referred to as column (3)], the following shall be inserted, namely:-

"Magistrar Chirurgiae(Endocrine Surgery)"

M.Ch(Endocrine Surgery)
(This shall be a recognized medical qualification when granted by Sanjay Gandhi Postgraduate Instt. of Medical Sciences(Deemed University), Lucknow in respect of students being trained at Sanjay Gandhi Postgraduate Instt. of Medical Sciences, Lucknow on or after May, 2007)

i) against "Banaras Hindu University", under the heading 'Recognized Medical Qualification' [hereinafter referred to as column (2)], after the last entry and entry relating thereto under the heading 'Abbreviation for Registration' [hereinafter referred to as column (3)], the following shall be inserted, namely:-

"Doctor of Medicine(Nephrology)"

DM(Nephrology).
(This shall be a recognized medical qualification when granted by Banaras Hindu University in respect of students being trained at Institute of Medical Sciences, Varanasi on or after 1981)

j) against "King George's Medical University, Lucknow", under the heading 'Recognized Medical Qualification' [hereinafter referred to as column (2)], after the last entry and entry relating thereto under the heading 'Abbreviation for Registration' [hereinafter referred to as column (3)], the following shall be inserted, namely:-

"Magistrar Chirurgiae(Paediatrics Surgery)"

M.Ch(Paediatrics Surgery)
(This shall be a recognized medical qualification when granted by King George's Medical University, Lucknow in respect of students being trained at King George's Medical University, Lucknow on or after February, 2007)

k) against "Sardar Patel University", under the heading 'Recognized Medical Qualification' [hereinafter referred to as column (2)], after the last entry and entry relating thereto under the heading 'Abbreviation for Registration' [hereinafter referred to as column (3)], the following shall be inserted, namely:-

"Diploma in Clinical Pathology"

DCP

(This shall be a recognized medical qualification when granted by Sardar Patel University in respect of students being trained at Pramukhswami Medical College, Karamsad on or after April, 2007)

"Diploma in Venerology & Dermatology"

DVD

(This shall be a recognized medical qualification when granted by Sardar Patel University in respect of students being trained at Pramukhswami Medical College, Karamsad on or after April, 2007)

"Diploma in Dermatology, Venerology & Leprosy"

DDVL

(This shall be a recognized medical qualification when granted by Sardar Patel University in respect of students being trained at Pramukhswami Medical College, Karamsad on or after April, 2007)

l) against "Manipur University", under the heading 'Recognized Medical Qualification' [hereinafter referred to as column (2)], after the last entry and entry relating thereto under the heading 'Abbreviation for Registration' [hereinafter referred to as column (3)], the following shall be inserted, namely:-

"Doctor of Medicine(Dermatology, Venerology & Leprosy)"

MD(DVL)

(This shall be a recognized medical qualification when granted by Manipur University in respect of students being trained at Regional Institute of Medical Sciences, Imphal on or after April, 2007)

m) against "Assam University", under the heading 'Recognized Medical Qualification' [hereinafter referred to as column (2)], after the last entry and entry relating thereto under the heading 'Abbreviation for Registration' [hereinafter referred to as column (3)], the following shall be inserted, namely:-

"Doctor of Medicine(Psychiatry)"

MD(Psychiatry)

(This shall be a recognized medical qualification when granted by Assam University in respect of students being trained at Silchar Medical College, Silchar on or after 2001)

"Diploma in Psychological Medicine"

DPM

(This shall be a recognized medical qualification when granted by Assam University in respect of students being trained

at Silchar Medical College, Silchar on or after 2000)

n) against "Pt. Ravishankar Shukla University", under the heading 'Recognized Medical Qualification' [hereinafter referred to as column (2)], after the last entry and entry relating thereto under the heading 'Abbreviation for Registration' [hereinafter referred to as column (3)], the following shall be inserted, namely:-

"Master of Surgery(ENT)"

MS(ENT)

(This shall be a recognized medical qualification when granted by Pt. Ravishankar Shukla University in respect of students being trained at Pt. J.N.M. Medical College, Raipur on or after 1976)

o) against "Rajasthan University of Health Sciences, Jaipur", under the heading 'Recognized Medical Qualification' [hereinafter referred to as column (2)], after the last entry and entry relating thereto under the heading 'Abbreviation for Registration' [hereinafter referred to as column (3)], the following shall be inserted, namely:-

"Master of Surgery(General Surgery)"

MS(General Surgery)

(This shall be a recognized medical qualification when granted by Rajasthan University of Health Sciences, Jaipur in respect of students being trained at Govt. Medical College, Kota on or after 2007)

"Doctor of Medicine(Psychiatry)"

MD(Psychiatry)

(This shall be a recognized medical qualification when granted by Rajasthan University of Health Sciences, Jaipur in respect of students being trained at Govt. Medical College, Kota on or after June, 2007)

p) against "Utkal University", under the heading 'Recognized Medical Qualification' [hereinafter referred to as column (2)], after the last entry and entry relating thereto under the heading 'Abbreviation for Registration' [hereinafter referred to as column (3)], the following shall be inserted, namely:-


"Doctor of Medicine(Cardiology)"

DM(Cardiology)

(This shall be a recognized medical qualification when granted by Utkal University in respect of students being trained

at S.C.B. Medical College, Cuttack on or after 1988)

[No. U.12012/22/2008-ME(P-II)] Vol.IV


Under Secretary to the Govt. of India

To

The General Manager,
Government of India Press
Mayapuri, Ring Road
New Delhi

Copy to:

- ✓ 1. The Secretary, Medical Council of India, Pocket-14, Sector-8, Dwarka, New Delhi-110 075
2. Dte. Genl. of Health Services, (ME Section)/CHS-V Section
3. All State Governments/UTs
4. All Universities (Having medical faculties)
5. All the State Medical Councils
6. The Director of Health Services, Jammu, J&K
7. The Registrar, J&K Sher-e-Kashmir Institute of Medical Sciences(Deemed University), Soura, Srinagar - 190011
8. The Director, J&K Sher-e-Kashmir Institute of Medical Sciences, Soura, Srinagar - 190011
9. The Registrar, University of Jammu, Babasaheb Ambedkar Road, New Campus, Jammu(Tawi) - 180006
10. The Principal, Acharya Shri Chander Chinar College of Medical Sciences & Hospital, P.B. No.5, HPO Gandhi Nagar, P.O. Majeen (ASCOMS), Sidhara, Jammu
11. The Principal, Govt. Medical College, Bakshinagar, Jammu-180006
12. The Director, Research & Medical Education, Govt. of UT of Chandigarh, Sco 87, Sector-40C, Chandigarh
13. The Registrar, Panjab University, Chandigarh - 160014
14. The Principal, Govt. Medical College, Chandigarh
15. The Registrar, Baba Farid University of Health Sciences, 26, GGS Medical College Campus, Faridkot - 151203
16. The Principal, Dayanand Medical College, Ludhiana -141001
17. The Director, Directorate of Health Sciences, Govt. of GNCT Delhi, F-70, Karkardooma, Delhi - 110032
18. The Registrar, University of Delhi, Delhi - 110 007
19. The Director, Instt. of Human Behaviour and Allied Sciences, Shahdara, Near Dilshad Garden, Delhi
20. The Medical Superintendent, Safdarjung Hospital, New Delhi -110029
21. The Director, Directorate of Health Services, Govt. of Bihar, Vikas Bhawan, Patna - 800015
22. The Registrar, Patna University, Ashok Rajpath, Patna-800005
23. The Principal, Patna Medical College, Patna - 800 004
24. Director General, Medical Education & Training, Govt. of Uttar Pradesh Jawahar Bhawan, 6th Floor, Ashok Marg, Lucknow

25. The Registrar, Ch. Charan Singh University, Meerut - 250005
26. The Principal, Santosh Medical College, Santosh Nagar, Pratap Vihar, Ghaziabad -201009
27. The Registrar, Sanjay Gandhi PG Institute of Medical Sciences(Deemed University), P.B.375, Rai Bareli Road, Lucknow - 226014
28. The Director, Sanjay Gandhi PG Institute of Medical Sciences, P.B.375, Rai Bareli Road, Lucknow - 226014
29. The Registrar, Banaras Hindu University, Varanasi-221005
30. The Director, Institute of Medical Sciences, Banaras Hindu University, Varanasi-221005
31. The Registrar, King George's Medical University, Lucknow-226003
32. The Principal/Dean, King George's Medical College, Lucknow-226003
33. The Director, Directorate of Medical Education, Govt. of Gujarat, G-Block, 2nd Floor, Civil Hospital Campus, Gandhi Nagar-382012
34. The Registrar, Sardar Patel University, Vallabh Vidyanagar-388120 (Gujarat)
35. The Dean, Pramukhswami Medical College, Gokalnagar, Karamsad-388325 Distt. Anand, Gujarat
36. The Director, Directorate of Medical Education, Govt. of Manipur, Imphal
37. The Registrar, Manipur University, Canchipur, Imphal-795003
38. The Director, Regional Institute of Medical Sciences, Lamphelpat, Imphal-795004
39. The Director Medical Education, Govt. of Assam, Housefed Complex, Dispur, Guwahati-781006
40. The Registrar, Assam University, PB No.63, Meherpur, Silchar-788011
41. The Principal, Silchar Medical College, Silchar-788014
42. The Director of Health Services, Govt. of Chhattisgarh, Raipur
43. The Registrar, Pandit Ravishankar Shukla University, Raipur-492010 Chhattisgarh
44. The Dean, Pt. Jawaharlal Nehru Medical College, Raipur, Chhattisgarh
45. The Director of Medical Education, Govt. of Rajasthan, Secretariat, Jaipur, Rajasthan
46. The Registrar, University of Rajasthan, Jaipur-302004
47. The Principal, Govt. Medical College, Rangbari, Kota-240009
48. The Director of Medical Education & Training, Govt. of Orissa, Distt. Khurda, Bhubaneswar-751001
49. The Registrar, Utkal University, Vani Vihar, Bhubaneswar-751004
50. The Principal, S.C.B. Medical College, Cuttack-753007



(M. Barik)

Under Secretary to the Govt. of India

(भारत के राजपत्र के भाग II, खण्ड 3, उप खण्ड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

निर्माण भवन, नई दिल्ली

दिनांक: 10 जुलाई 2008

अधिसूचना

का.आ. भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद से परामर्श करने के पश्चात् उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची में एतद्द्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अनुसूची में-

(क) शीर्षक "मान्यताप्राप्त चिकित्सा अर्हता" (इसके पश्चात् स्तंभ (2) के रूप में उल्लिखित) के अन्तर्गत "शेर-ए-कश्मीर इंस्टीच्यूट आफ मेडिकल साइंसेज (सम विश्वविद्यालय)" के सामने अंतिम प्रविष्टि तथा शीर्षक 'पंजीकरण के लिए संक्षेपण' (इसके पश्चात् स्तंभ (3) के रूप में संदर्भित) के अन्तर्गत उससे संबंधित प्रत्येक प्रविष्टि के बाद, निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात्:-

2	3
"डाक्टर आफ मेडिसिन (विकृति विज्ञान)"	एम.डी. (विकृति विज्ञान) (यह एक मान्यताप्राप्त चिकित्सा अर्हता होगी यदि यह शेर-ए-कश्मीर इंस्टीच्यूट आफ मेडिकल साइंसेज (सम विश्वविद्यालय) द्वारा शेर-ए-कश्मीर इंस्टीच्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, श्रीनगर में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे छात्रों के संबंध में 2004 में अथवा उसके बाद प्रदान की गई हो।)

(ख) शीर्षक "मान्यताप्राप्त चिकित्सा अर्हता" (इसके पश्चात् स्तंभ (2) के रूप में उल्लिखित) के अन्तर्गत "जम्मू विश्वविद्यालय" के सामने अंतिम प्रविष्टि तथा शीर्षक 'पंजीकरण के लिए संक्षेपण' (इसके पश्चात् स्तंभ (3) के रूप में संदर्भित) के अन्तर्गत उससे संबंधित प्रत्येक प्रविष्टि के बाद, निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात्:-

"डाक्टर आफ मेडिसिन (संज्ञाहरण)"	एम.डी. (संज्ञाहरण) (यह एक मान्यताप्राप्त चिकित्सा अर्हता होगी यदि यह जम्मू विश्वविद्यालय द्वारा आचार्य श्री चंद्र कालेज आफ मेडिकल साइंसेज, जम्मू में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे छात्रों के संबंध में मई, 2007 में अथवा उसके बाद प्रदान की गई हो।)
"डाक्टर आफ मेडिसिन (विकृति विज्ञान)"	एम.डी. (विकृति विज्ञान) (यह एक मान्यताप्राप्त चिकित्सा अर्हता होगी यदि यह जम्मू विश्वविद्यालय द्वारा आचार्य श्री चंद्र कालेज आफ मेडिकल साइंसेज, जम्मू में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे छात्रों के संबंध में मई, 2007 में अथवा उसके बाद प्रदान की गई हो।)
"मास्टर आफ सर्जरी (सामान्य सर्जरी)"	एम.एस. (सामान्य सर्जरी) (यह एक मान्यताप्राप्त चिकित्सा अर्हता होगी यदि यह जम्मू विश्वविद्यालय द्वारा आचार्य श्री चंद्र कालेज आफ मेडिकल साइंसेज, जम्मू में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे छात्रों के संबंध में मई, 2007 में अथवा उसके बाद प्रदान की गई हो।)
"डाक्टर आफ मेडिसिन (सामान्य चिकित्सा)"	एम.डी. (सामान्य चिकित्सा) (यह एक मान्यताप्राप्त चिकित्सा अर्हता होगी यदि यह जम्मू विश्वविद्यालय द्वारा आचार्य श्री चंद्र कालेज आफ मेडिकल साइंसेज, जम्मू में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे छात्रों के संबंध में मई, 2007 में अथवा उसके बाद प्रदान की गई हो।)
"डाक्टर आफ मेडिसिन (एस पी एम/सामुदायिक चिकित्सा)"	एम.डी. (एस पी एम/सामुदायिक चिकित्सा) (यह एक मान्यताप्राप्त चिकित्सा अर्हता होगी यदि यह जम्मू विश्वविद्यालय द्वारा सरकारी मेडिकल कालेज, जम्मू में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे छात्रों के संबंध में 1995 में अथवा उसके बाद प्रदान की गई हो।)
"डाक्टर आफ मेडिसिन (त्वचा रोग विज्ञान, रतिज रोग विज्ञान एवं कुष्ठ रोग)"	एम.डी. (डी वी एल) (यह एक मान्यताप्राप्त चिकित्सा अर्हता होगी यदि यह जम्मू विश्वविद्यालय द्वारा सरकारी

	मेडिकल कालेज, जम्मू में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे छात्रों के संबंध में 2005 में अथवा उसके बाद प्रदान की गई हो।)
--	--

(ग) शीर्षक "मान्यताप्राप्त चिकित्सा अर्हता" (इसके पश्चात् स्तंभ (2) के रूप में उल्लिखित) के अन्तर्गत "पंजाब विश्वविद्यालय" के सामने अंतिम प्रविष्टि तथा शीर्षक 'पंजीकरण के लिए संक्षेपण' (इसके पश्चात् स्तंभ (3) के रूप में संदर्भित) के अन्तर्गत उससे संबंधित प्रत्येक प्रविष्टि के बाद, निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात्:-

"डाक्टर आफ मेडिसिन (प्रसूति एवं स्त्री रोग विज्ञान)"	एम डी (ओ बी जी) (यह एक मान्यताप्राप्त चिकित्सा अर्हता होगी यदि यह पंजाब विश्वविद्यालय द्वारा सरकारी मेडिकल कालेज, चंडीगढ़ में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे छात्रों के संबंध में अप्रैल, 2007 में अथवा उसके बाद प्रदान की गई हो।)
"मास्टर आफ सर्जरी (शरीर रचना विज्ञान)"	एम एस (शरीर रचना विज्ञान) (यह एक मान्यताप्राप्त चिकित्सा अर्हता होगी यदि यह पंजाब विश्वविद्यालय द्वारा दयानंद मेडिकल कालेज, लुधियाना में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे छात्रों के संबंध में 1981 में अथवा उसके बाद प्रदान की गई हो।)
"डाक्टर आफ मेडिसिन (शरीर रचना विज्ञान)"	एम डी (शरीर रचना विज्ञान) (यह एक मान्यताप्राप्त चिकित्सा अर्हता होगी यदि यह पंजाब विश्वविद्यालय द्वारा दयानंद मेडिकल कालेज, लुधियाना में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे छात्रों के संबंध में 1981 में अथवा उसके बाद प्रदान की गई हो।)
डाक्टर आफ मेडिसिन (भेषज विज्ञान)	एम डी (भेषज विज्ञान) (यह एक मान्यताप्राप्त चिकित्सा अर्हता होगी यदि यह पंजाब विश्वविद्यालय द्वारा दयानंद मेडिकल कालेज, लुधियाना में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे छात्रों के संबंध में 1980 में अथवा उसके बाद प्रदान की गई हो।)

(घ) शीर्षक "मान्यताप्राप्त चिकित्सा अर्हता" (इसके पश्चात् स्तंभ (2) के रूप में उल्लिखित) के अन्तर्गत "बाबा फरीद यूनिवर्सिटी आफ हैल्थ साइंसेज" के सामने अंतिम

प्रविष्टि तथा शीर्षक 'पंजीकरण के लिए संक्षेपण' (इसके पश्चात् स्तंभ (3) के रूप में संदर्भित) के अन्तर्गत उससे संबंधित प्रत्येक प्रविष्टि के बाद, निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात्:-

"मास्टर आफ सर्जरी (शरीर रचना विज्ञान)"	एम एस (शरीर रचना विज्ञान) (यह एक मान्यताप्राप्त चिकित्सा अर्हता होगी यदि यह बाबा फरीद यूनिवर्सिटी आफ हेल्थ साइंसेज द्वारा दयानंद मेडिकल कालेज, लुधियाना में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे छात्रों के संबंध में 1981 में अथवा उसके बाद प्रदान की गई हो।)
"डाक्टर आफ मेडिसिन (शरीर रचना विज्ञान)"	एम डी (शरीर रचना विज्ञान) (यह एक मान्यताप्राप्त चिकित्सा अर्हता होगी यदि यह बाबा फरीद यूनिवर्सिटी आफ हेल्थ साइंसेज द्वारा दयानंद मेडिकल कालेज, लुधियाना में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे छात्रों के संबंध में 1981 में अथवा उसके बाद प्रदान की गई हो।)
"डाक्टर आफ मेडिसिन (भेषज विज्ञान)"	एम डी (भेषज विज्ञान) (यह एक मान्यताप्राप्त चिकित्सा अर्हता होगी यदि यह बाबा फरीद यूनिवर्सिटी आफ हेल्थ साइंसेज द्वारा दयानंद मेडिकल कालेज, लुधियाना में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे छात्रों के संबंध में 1980 में अथवा उसके बाद प्रदान की गई हो।)

(ड) शीर्षक "मान्यताप्राप्त चिकित्सा अर्हता" (इसके पश्चात् स्तंभ (2) के रूप में उल्लिखित) के अन्तर्गत "दिल्ली विश्वविद्यालय" के सामने अंतिम प्रविष्टि तथा शीर्षक 'पंजीकरण के लिए संक्षेपण' (इसके पश्चात् स्तंभ (3) के रूप में संदर्भित) के अन्तर्गत उससे संबंधित प्रत्येक प्रविष्टि के बाद, निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात्:-

"डाक्टर आफ मेडिसिन (मनश्चिकित्सा)"	एम डी (मनश्चिकित्सा) (यह एक मान्यताप्राप्त चिकित्सा अर्हता होगी यदि यह दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा मानव व्यवहार एवं सम्बद्ध विज्ञान संस्थान, दिल्ली में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे छात्रों के संबंध में अप्रैल, 2007 में अथवा उसके बाद प्रदान की गई हो।)
------------------------------------	---

	(यह एक मान्यताप्राप्त चिकित्सा अर्हता होगी यदि यह चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय द्वारा संतोष मेडिकल कालेज, गाजियाबाद में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे छात्रों के संबंध में जून 2007 में अथवा उसके बाद प्रदान की गई हो।)
--	--

(ज) शीर्षक "मान्यताप्राप्त चिकित्सा अर्हता" (इसके पश्चात् स्तंभ (2) के रूप में उल्लिखित) के अन्तर्गत "संजय गांधी पोस्टग्रेजुएट इंस्टीच्यूट आफ मेडिकल साइंसेज (सम विश्वविद्यालय), लखनऊ" के सामने अंतिम प्रविष्टि तथा शीर्षक 'पंजीकरण के लिए संक्षेपण' (इसके पश्चात् स्तंभ (3) के रूप में संदर्भित) के अन्तर्गत उससे संबंधित प्रत्येक प्रविष्टि के बाद, निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात्:-

"मजिस्ट्रार चिरूरुगिए (एंडोक्रिन सर्जरी)"	एम.सी.एच. (एंडोक्रिन सर्जरी) (यह एक मान्यताप्राप्त चिकित्सा अर्हता होगी यदि यह संजय गांधी पोस्टग्रेजुएट इंस्टीच्यूट आफ मेडिकल साइंसेज (सम विश्वविद्यालय), लखनऊ द्वारा संजय गांधी पोस्टग्रेजुएट इंस्टीच्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, लखनऊ में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे छात्रों के संबंध में मई, 2007 में अथवा उसके बाद प्रदान की गई हो।)
---	--

(झ) शीर्षक "मान्यताप्राप्त चिकित्सा अर्हता" (इसके पश्चात् स्तंभ (2) के रूप में उल्लिखित) के अन्तर्गत "बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय" के सामने अंतिम प्रविष्टि तथा शीर्षक 'पंजीकरण के लिए संक्षेपण' (इसके पश्चात् स्तंभ (3) के रूप में संदर्भित) के अन्तर्गत उससे संबंधित प्रत्येक प्रविष्टि के बाद, निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात्:-

"डाक्टर आफ मेडिसिन (वृक्क विज्ञान)"	डी एम (वृक्क विज्ञान) (यह एक मान्यताप्राप्त चिकित्सा अर्हता होगी यदि यह बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय द्वारा इंस्टीच्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, वाराणसी में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे छात्रों के संबंध में 1981 में अथवा उसके बाद प्रदान की गई हो।)
-------------------------------------	--

डाक्टर आफ मेडिसिन (प्रसूति विज्ञान एवं स्त्री रोग विज्ञान)	एम डी (ओ बी जी) (यह एक मान्यताप्राप्त चिकित्सा अर्हता होगी यदि यह दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे छात्रों के संबंध में 1965 में अथवा उसके बाद प्रदान की गई हो।)
प्रसूति विज्ञान एवं स्त्री रोग विज्ञान में डिप्लोमा	डी जी ओ (यह एक मान्यताप्राप्त चिकित्सा अर्हता होगी यदि यह दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे छात्रों के संबंध में 1964 में अथवा उसके बाद प्रदान की गई हो।)

(च) शीर्षक "मान्यताप्राप्त चिकित्सा अर्हता" (इसके पश्चात् स्तंभ (2) के रूप में उल्लिखित) के अन्तर्गत "पटना विश्वविद्यालय" के सामने अंतिम प्रविष्टि तथा शीर्षक 'पंजीकरण के लिए संक्षेपण' (इसके पश्चात् स्तंभ (3) के रूप में संदर्भित) के अन्तर्गत उससे संबंधित प्रत्येक प्रविष्टि के बाद, निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात्:-

"डाक्टर आफ मेडिसिन (एस पी एम/सामुदायिक चिकित्सा)"	एम डी (एस पी एम/सामुदायिक चिकित्सा) (यह एक मान्यताप्राप्त चिकित्सा अर्हता होगी यदि यह पटना विश्वविद्यालय द्वारा पटना मेडिकल कालेज, पटना में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे छात्रों के संबंध में 1960 में अथवा उसके बाद प्रदान की गई हो।)
डाक्टर आफ मेडिसिन (सूक्ष्म जीव विज्ञान)	एम डी (सूक्ष्म जीव विज्ञान) (यह एक मान्यताप्राप्त चिकित्सा अर्हता होगी यदि यह पटना विश्वविद्यालय द्वारा पटना मेडिकल कालेज, पटना में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे छात्रों के संबंध में 2003 में अथवा उसके बाद प्रदान की गई हो।)

(छ) शीर्षक "मान्यताप्राप्त चिकित्सा अर्हता" (इसके पश्चात् स्तंभ (2) के रूप में उल्लिखित) के अन्तर्गत "चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ" के सामने अंतिम प्रविष्टि तथा शीर्षक 'पंजीकरण के लिए संक्षेपण' (इसके पश्चात् स्तंभ (3) के रूप में संदर्भित) के अन्तर्गत उससे संबंधित प्रत्येक प्रविष्टि के बाद, निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात्:-

"डाक्टर आफ मेडिसिन (बाल चिकित्सा)"	एम डी (बाल चिकित्सा)
------------------------------------	----------------------

	अप्रैल, 2007 में अथवा उसके बाद प्रदान की गई हो।)
--	--

(ठ) शीर्षक "मान्यताप्राप्त चिकित्सा अर्हता" (इसके पश्चात् स्तंभ (2) के रूप में उल्लिखित) के अन्तर्गत "मणिपुर विश्वविद्यालय" के सामने अंतिम प्रविष्टि तथा शीर्षक 'पंजीकरण के लिए संक्षेपण' (इसके पश्चात् स्तंभ (3) के रूप में संदर्भित) के अन्तर्गत उससे संबंधित प्रत्येक प्रविष्टि के बाद, निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात्:-

"डाक्टर आफ मेडिसिन (त्वचा रोग विज्ञान, रतिज रोग विज्ञान एवं कुष्ठ रोग)"	एम डी (डी वी एल) (यह एक मान्यताप्राप्त चिकित्सा अर्हता होगी यदि यह मणिपुर विश्वविद्यालय द्वारा क्षेत्रीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान, इम्फाल में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे छात्रों के संबंध में अप्रैल, 2007 में अथवा उसके बाद प्रदान की गई हो।)
---	---

(ड) शीर्षक "मान्यताप्राप्त चिकित्सा अर्हता" (इसके पश्चात् स्तंभ (2) के रूप में उल्लिखित) के अन्तर्गत "असम विश्वविद्यालय" के सामने अंतिम प्रविष्टि तथा शीर्षक 'पंजीकरण के लिए संक्षेपण' (इसके पश्चात् स्तंभ (3) के रूप में संदर्भित) के अन्तर्गत उससे संबंधित प्रत्येक प्रविष्टि के बाद, निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात्:-

"डाक्टर आफ मेडिसिन (मनश्चिकित्सा)"	एम डी (मनश्चिकित्सा) (यह एक मान्यताप्राप्त चिकित्सा अर्हता होगी यदि यह असम विश्वविद्यालय द्वारा सिल्वर मेडिकल कालेज, सिल्वर में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे छात्रों के संबंध में 2001 में अथवा उसके बाद प्रदान की गई हो।)
"मनोविज्ञान चिकित्सा में डिप्लोमा"	डी पी एम (यह एक मान्यताप्राप्त चिकित्सा अर्हता होगी यदि यह असम विश्वविद्यालय द्वारा सिल्वर मेडिकल कालेज, सिल्वर में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे छात्रों के संबंध में 2000 में अथवा उसके बाद प्रदान की गई हो।)

(ढ) शीर्षक "मान्यताप्राप्त चिकित्सा अर्हता" (इसके पश्चात् स्तंभ (2) के रूप में उल्लिखित) के अन्तर्गत "पं. रविशंकर शुक्ला विश्वविद्यालय" के सामने अंतिम प्रविष्टि तथा

(ज) शीर्षक "मान्यताप्राप्त चिकित्सा अर्हता" (इसके पश्चात् स्तंभ (2) के रूप में उल्लिखित) के अन्तर्गत "किंग जार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, लखनऊ" के सामने अंतिम प्रविष्टि तथा शीर्षक 'पंजीकरण के लिए संक्षेपण' (इसके पश्चात् स्तंभ (3) के रूप में संदर्भित) के अन्तर्गत उससे संबंधित प्रत्येक प्रविष्टि के बाद, निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात्:-

"मजिस्टार चिरुरगिए (बाल शल्य चिकित्सा)"	एम. सी एच (बाल शल्य चिकित्सा) (यह एक मान्यताप्राप्त चिकित्सा अर्हता होगी यदि यह किंग जार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, लखनऊ द्वारा किंग जार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, लखनऊ में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे छात्रों के संबंध में फरवरी, 2007 में अथवा उसके बाद प्रदान की गई हो।)
---	---

(ट) शीर्षक "मान्यताप्राप्त चिकित्सा अर्हता" (इसके पश्चात् स्तंभ (2) के रूप में उल्लिखित) के अन्तर्गत "सरदार पटेल विश्वविद्यालय" के सामने अंतिम प्रविष्टि तथा शीर्षक 'पंजीकरण के लिए संक्षेपण' (इसके पश्चात् स्तंभ (3) के रूप में संदर्भित) के अन्तर्गत उससे संबंधित प्रत्येक प्रविष्टि के बाद, निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात्:-

"क्लीनिकल पैथोलॉजी में डिप्लोमा"	डी सी पी (यह एक मान्यताप्राप्त चिकित्सा अर्हता होगी यदि यह सरदार पटेल विश्वविद्यालय द्वारा प्रमुखस्वामी मेडिकल कालेज, करमसाड में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे छात्रों के संबंध में अप्रैल, 2007 में अथवा उसके बाद प्रदान की गई हो।)
"रतिज रोग विज्ञान एवं त्वचा रोग विज्ञान में डिप्लोमा"	डी वी डी (यह एक मान्यताप्राप्त चिकित्सा अर्हता होगी यदि यह सरदार पटेल विश्वविद्यालय द्वारा प्रमुखस्वामी मेडिकल कालेज, करमसाड में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे छात्रों के संबंध में अप्रैल, 2007 में अथवा उसके बाद प्रदान की गई हो।)
"त्वचा रोग विज्ञान, रतिज रोग विज्ञान एवं कुष्ठ रोग में डिप्लोमा"	डी डी वी एल (यह एक मान्यताप्राप्त चिकित्सा अर्हता होगी यदि यह सरदार पटेल विश्वविद्यालय द्वारा प्रमुखस्वामी मेडिकल कालेज, करमसाड में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे छात्रों के संबंध में

शीर्षक 'पंजीकरण के लिए संक्षेपण' (इसके पश्चात् स्तंभ (3) के रूप में संदर्भित) के अन्तर्गत उससे संबंधित प्रत्येक प्रविष्टि के बाद, निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात्:-

"मास्टर आफ सर्जरी (ई एन टी)"	एन एस (ई एन टी) (यह एक मान्यताप्राप्त चिकित्सा अर्हता होगी यदि यह पं. रविशंकर शुक्ला विश्वविद्यालय द्वारा पं. जे.एन.एम, मेडिकल कालेज, रायपुर में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे छात्रों के संबंध में 1976 में अथवा उसके बाद प्रदान की गई हो।)
------------------------------	--

(ण) शीर्षक "मान्यताप्राप्त चिकित्सा अर्हता" (इसके पश्चात् स्तंभ (2) के रूप में उल्लिखित) के अन्तर्गत "राजस्थान यूनिवर्सिटी आफ हैल्थ साइंसेज, जयपुर" के सामने अंतिम प्रविष्टि तथा शीर्षक 'पंजीकरण के लिए संक्षेपण' (इसके पश्चात् स्तंभ (3) के रूप में संदर्भित) के अन्तर्गत उससे संबंधित प्रत्येक प्रविष्टि के बाद, निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात्:-

"मास्टर आफ सर्जरी (सामान्य सर्जरी)"	एम एस (सामान्य सर्जरी) (यह एक मान्यताप्राप्त चिकित्सा अर्हता होगी यदि यह राजस्थान यूनिवर्सिटी आफ हैल्थ साइंसेज, जयपुर द्वारा सरकारी मेडिकल कालेज, कोटा में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे छात्रों के संबंध में 2007 में अथवा उसके बाद प्रदान की गई हो।)
"डाक्टर आफ मेडिसिन (मनश्चिकित्सा)"	एम डी (मनश्चिकित्सा) (यह एक मान्यताप्राप्त चिकित्सा अर्हता होगी यदि यह राजस्थान यूनिवर्सिटी आफ हैल्थ साइंसेज, जयपुर द्वारा सरकारी मेडिकल कालेज, कोटा में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे छात्रों के संबंध में जून 2007 में अथवा उसके बाद प्रदान की गई हो।)

(त) शीर्षक "मान्यताप्राप्त चिकित्सा अर्हता" (इसके पश्चात् स्तंभ (2) के रूप में उल्लिखित) के अन्तर्गत "उत्कल यूनिवर्सिटी" के सामने अंतिम प्रविष्टि तथा शीर्षक 'पंजीकरण के लिए संक्षेपण' (इसके पश्चात् स्तंभ (3) के रूप में संदर्भित) के अन्तर्गत उससे संबंधित प्रत्येक प्रविष्टि के बाद, निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात्:-

"डाक्टर आफ मेडिसिन (हृदय रोग विज्ञान)"

डी एम (कार्डियोलॉजी)
(यह एक मान्यताप्राप्त चिकित्सा अहंता होगी
यदि यह उत्कल यूनिवर्सिटी द्वारा एस.सी.बी.
मेडिकल कालेज, कटक में प्रशिक्षण प्राप्त कर
रहे छात्रों के संबंध में 1988 में अथवा उसके
बाद प्रदान की गई हो।)

[यू-12012/22/2008-एम.ई.(नीति-II)] खंड-IV

ज. चारिख
(एन बारिक)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

महाप्रबंधक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
मायापुरी, रिंग रोड,
नई दिल्ली।